18/7/24 पत्रावली पेश हुई वसूली रु0 नमीन आयी द्वारा प्रकरण दर 0.22R4 का समीक्षा की जाती है बहस वसूली सुनी जाकर उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वाद मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व मूल्य कूट के अनुसार सरकार 58/1 व 298 की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बायम रखी जावे। पत्रावली क्रमांक होना होगा नक्शा ले स्थल हो एवं उभय पक्ष के साथ नत्थी हो।

18/7

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible]